

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक- 87/एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 23.07.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क्र०	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
01	विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम क्रमांक 10 सागर (श्री प्रशांत कुमार)	अष्टम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा (आपराधिक एवं सिविल) प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।
02	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर (श्री शहाबुद्दीन हाशमी)	न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।
03	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर (सुश्री समीक्षा सिंह)	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां (न्यायालय रिक्त होने तक)।
04	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर (श्री अनिल कुमार साहू)	न्यायालय चतुर्थ जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा (सिविल व आपराधिक) प्रकरणों (विशेष प्रकरण पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां।
05	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर (श्री दिलीप सिंह परमार)	फास्ट ट्रेक न्यायालय सागर एवं ऐसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय एवं प्रशिक्षु जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जो कि पूर्व में कार्यरत थे, के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन, क्लेम राशि भुगतान संबंधी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निराकृत होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में पारित आदेशों का पालन कार्यवाहियां।

नोट- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश यथावत रहेगा।

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

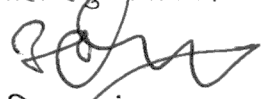
23.07.2025

4535

पृष्ठाकंन क्रमांक (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 23.07.2025

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर ।
2. ऑब्जेक्शन क्लर्क सागर ।
3. प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक, प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. आवक लिपिक, कार्यालय अनुभाग सागर ।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

23/07/2025